संख्या-182/2024/2688/22-2-2023-17(391)/2024

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 अक्टूबर 2024

विषयः- जिला कारागार बलिया में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक सिंह पुत्र श्री रविन्द्र सिंह, निवासी जनपद-बलिया की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-19923/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-07-06-2023) दिनांक-16-06-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार बलिया में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक सिंह पुत्र श्री रविन्द्र सिंह, शोभाछपरा, थाना-बैरिया जनपद-बलिया का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 28-11-1994 को जमीनी विवाद की रंजिश के कारण अपने 08 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक व कट्टा व लाठी डन्डा से वार कर छठ्टू सिंह व राजेश सिंह नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-49/1997 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149,307/149 में मा0 विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया के आदेश दिनांक 29-05-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20-12-2018 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2023 तक 14 वर्ष, 01 माह, 05 दिन अपरिहार तथा 18 वर्ष, 01 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या(जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्राबेशन बोर्ड की बैठक दिनांक 07-06-2023 में सदस्यों का अभिमत था कि दिनांक 28-11-1994 को जमीनी विवाद की रंजिश के कारण बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक व कट्टा व लाठी डन्डा से वार कर छठ्टू सिंह व राजेश सिंह नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अशोक सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बलिया में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक सिंह (बन्दी संख्या-2454/2009) पुत्र श्री रवीन्द्र सिंह, निवासी जनपद-बलिया को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-182/2024/2688(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट,बलिया।
2- अधीक्षक, जिला कारागार बलिया
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल मेसलेनियस रिट पिटीशन सं0-13035/2022 अशोक सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31-07-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-182/2024/2688/22-2-2023-17(391)/2024

दिनांक 18 अक्टूबर 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार बलिया में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक सिंह पुत्र श्री रविन्द्र सिंह, शोभाछपरा, थाना-बैरिया जनपद-बलिया का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 28-11-1994 को जमीनी विवाद की रंजिश के कारण अपने 08 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक व कट्टा व लाठी डन्डा से वार कर छठ्टू सिंह व राजेश सिंह नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-49/1997 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149,307/149 में मा0 विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया के आदेश दिनांक 29-05-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20-12-2018 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2023 तक 14 वर्ष, 01 माह, 05 दिन अपरिहार तथा 18 वर्ष, 01 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्राबेशन बोर्ड की बैठक दिनांक 07-06-2023 में सदस्यों का अभिमत था कि दिनांक 28-11-1994 को जमीनी विवाद की रंजिश के कारण बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक व कट्टा व लाठी डन्डा से वार कर छठ्टू सिंह व राजेश सिंह नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अशोक सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।